



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 03 मार्च, 2021 ई०
(फाल्गुन 12, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 25753 ई-2/तेरह

प्रयागराज, दिनांक : 03 मार्च, 2021 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-11

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910) की धारा-31 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उक्त अधिनियम की धारा-31 के माध्यम से धारा-24-क के अधीन विदेशी मदिरा/बीयर के थोक बिक्री हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का अन्तर्ण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम की धारा-30 के अधीन वर्ष 2020-21 या उसके आंशिक भाग के लिए जिला वार लाइसेंस शुल्क एतद्वारा नियत करते हैं-

(एक) एफ०एल०-2 लाइसेंस :

क्रमांक	जिला का नाम	2020-21 के लिये वि०म०-2 का लाइसेंस शुल्क (लाख रुपये में)	2020-21 के लिये वि०म०-2, लाइसेंस की प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद एवं मथुरा	27.50	2.75

1	2	3	4
2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं फिरोजाबाद	22.00	2.20
4	उपरोक्त जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	16.50	1.65

(दो) एफ0एल0-2बी लाइसेंस :

क्रमांक	जिला का नाम	2020-21 के लिए वि0म0-2 ख का लाइसेंस शुल्क (लाख रुपयें में)	2020-21 के लिए वि0म0-2 ख की प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपयें में)
1	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, सम्भल, शाहजहाँपुर एवं शामली	4.40	0.44
2	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सन्तकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुरदेहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बौदा, जालौन एवं ललितपुर	7.70	0.77
3	उपरोक्त जिलों को छोड़कर शेष जिला	11.00	1.10

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 25753/E-2/13, dated March 03, 2021 for general information :

NOTIFICATION**No. 25753/E-2/13***Lucknow, Dated: March 03, 2021*

In exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby fixes district-wise license fee for the year 2020-2021 or part thereof under section 30 of the said Act for the purpose of granting transfer of exclusive privilege for wholesale vending of foreign liquor / beer under section 24-A through 31 of the said Act.

(i) FL-2 Licenses--

Sl. no.	Name of District	License fee of FL-2 licenses for 2020-2021 (in Lac Rs.)	Security amount of FL-2 licenses for 2020-2021 (in Lac Rs.)
1	2	3	4
1	Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur, Lucknow, Kanpur Nagar, Meerut, Ghaziabad, Gautambudh Nagar, Agra, Aligarh, Bareilly, Moradabad and Mathura	27.50	2.75

1	2	3	4
2	Ghazipur, Jaunpur, Ballia, Azamgarh, Deoria, Kushinagar, Bijnor, Bulandshahar, Saharanpur, Muzaffarnagar and Firozabad	22.00	2.20
3	Remaining Districts of Uttar Pradesh except above	16.50	1.65

(ii) FL-2B Licenses--

Sl. no.	Name of District	License fee of FL-2B licenses for 2020-2021 (in Lac Rs.)	Security amount of FL-2B licenses for 2020-2021 (in Lac Rs.)
1	Kaushambi, Shrawasti, Pilibhit, Mahoba, Hamirpur, Chitrakoot, Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Etah, Hathras, Kannauj, Auraiya, Rampur, Sambhal, Shahjahanpur and Shamli	4.40	0.44
2	Sonbhadra, Siddharthnagar, Sant Ravidas Nagar, Pratapgarh, Fatehpur, Sant Kabir Nagar, Amethi, Hardoi, Kasganj, Mainpuri, Farrukhabad, Kanpur Dehat, Badaun, Amroha, Baghpat, Banda, Jalaun and Lalitpur.	7.70	0.77
3	Remaining Other Districts of Uttar Pradesh except above.	11.00	1.10

P. GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.